माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

Website : www.msuniversity.ac.in
Email ID : registrar msuniversity.ac.in

प्रो0 ओमकार सिंह
प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर/परास्नातक एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू करने सम्बन्धी नियमावली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातक (शोध सहित) स्नातकोत्तर/परास्नातक पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 पर आधारित व्यवस्था को उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–401/सत्तर–3–2022 दिनांक : 09 फरवरी 2022 की संस्तुति के आधार पर माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में नवीन सत्र 2023–24 से लागू की जायेगी।

01. क्षेत्र (**Scope**) :

1.1 माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर/परास्नातक स्तर के पाठयक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पाठयक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।

1.2 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगी।

1.3 यह व्यवस्था जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते है तथा वह विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिभाषित है, जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0 इत्यादि, में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की नवीन व्यवस्था शैक्षणिक सत्र् 2023–24 से लागू होगी।

1.4 चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA ect.), विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0, बी0एस0–सी0–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0 इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0) इत्यादि के लिये इस व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के बनाये जाने पर ही उनकी संस्तुति के आधार पर भविष्य में लागू की जायेगी।

02. स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास :

2.1 नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पात्र होगें। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।

2.2 स्नातकोत्तर में प्रवेश माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।

2.3 प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

2.4 स्नातकोत्तर/परास्नातक के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

2.5 स्नातकोत्तर में प्रवेश/निकास की यह सुविधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ही अनुमन्य होगी।

2.6 स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में मिलाकर कुल न्यूनतम 100 (52+48) क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

03. स्नातकोत्तर/परास्नातक पाठ्यक्रम की संरचना :

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या, क्रेडिट इत्यादि तालिका 1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगी।

3.2 स्नातकोत्तर/परास्नातक में केवल एक मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

3.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 पर आधारित सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।

3.4 स्नातकोत्तर के मुख्य विषय (Major Subject) के 04 सैद्धांतिक (Theory) के पेपर (प्रत्येक पाँच क्रेडिट का) अथवा 04 सैद्धांतिक (Theory) के एवं एक प्रयोगात्मक (Practical) का पेपर (प्रत्येक 04 क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होगें। इस प्रकार प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स 20 क्रेडिट के होगें। एक वर्ष में 40 क्रेडिट व दो वर्ष (चार सेमेस्टरों) में कुल 80 क्रेडिट मुख्य विषय के होगें।

3.5 स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक वैकल्पिक (Optional) पेपर्स होगें। जैसा कि प्रथम सेमेस्टर में चारों सैद्धांतिक (Theory) के कोर्स अनिवार्य हो सकते है, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर में एक अथवा दो पेपर्स विशिष्टीकरण (Specialization) पर आधारित हो सकते हैं। वैकल्पिक (Optional) कोर्से में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधनों के आधार पर उपलब्ध पेपरों में से ही चुनाव करेगा। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स विशिष्टीकरण (Specialization) पर आधारित वैकल्पिक (Optional) पेपर्स रहेगें।

3.6 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के किसी एक सेमेस्टर में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, जोकि मुख्य विषय (Major Subject) से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का 04/05/06 क्रेडिट का माइनर इलेक्टिव पेपर लेना अनिवार्य होगा।

3.7 उपरोक्त सभी पेपरों के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत् परिषद (Academic Council) द्वारा अनुमोदित होगें।

04. स्नातकोत्तर/परास्नातक कार्यक्रम में शोध परियोजना (**Research Project**) :

4.1 उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम व द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना अनिवार्य रूप में करनी होगी।

4.2 यह शोध परियोजना अन्तरविषयक/बहुविषयक (Interdisciplinary/ multi- disciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना आद्यौगिक प्रशिक्षण/इर्न्टनशिप/सर्वे वर्क (Industrial Training/Internship/Survey work) इत्यादि के रूप में भी हो सकती है। शोध परियोजना मुख्य विषय से सम्बन्धित होगी।

4.3 शोध परियोजना एक शिक्षक पर्यवेक्षक (Supervisor) के निर्देशन में की जायेगी, अगर आवश्यक हो तो एक अन्य व्यक्ति को सह पर्यवेक्षक (Co-supervisor) बनाया जा सकता है, जोकि किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/ शोध संस्थान से सम्बन्धित होगा। जहाँ पर शोध कार्य किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में संयुक्त रूप से किया गया शोध कार्य का संयुक्त शोध प्रबंध (Project Report/Dissertation) के रूप में महाविद्यालय में जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक शिक्षक (सुपरवाईजर) एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस शोध परियोजना के कुल 08 क्रेडिट प्रति वर्ष होंगे।

4.5 यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC - CARE listed/Referred Journal में स्नातकोत्तर/परास्नातक कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तथा इसके प्रुफ को विश्वविद्यालय का परिणाम घोषित होने से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन में (पूर्णांक 100 में से) 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं। कुल प्राप्तांक अधिकतम 100 अंक ही होंगे।

4.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर में शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड को ग्रेड सीट में अंकित होंगे तथा इनको सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

05. पी0एच0डी0 कार्यक्रम :

5.1 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये हुए लागू होगें।

5.2 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में शोध परियोजना से पहले सभी को प्रथम सेमेस्टर में प्री0पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य है।

5.3 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में मुख्य विषय के दो पेपर 6–6 क्रेडिट के होगें तथा एक पेपर 04 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (Including research ethics, plagiarism and computer application) का होगा। सभी के लिए तीनों पेपर उत्तीर्ण करने अनिवार्य होगें।

5.4 उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) द्वारा अनुमोदित होगें।

5.5 पी0एच0डी0 कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/CGPA से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

5.6 उपरोक्त सैद्धांतिक (Theory) पेपर्स के अतिरिक्त प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी अनिवार्य रूप से करनी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति (BOS) एवं विद्वत परिषद (Academic council) द्वारा अनुमोदित होगा।

5.7 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स के ग्रेड विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर ही शोध परियोजना के प्राप्तांक पर आधारित ग्रेड भी अंकित होगें परन्तु इन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5.8 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा। अगर वह शोध कार्य को आगे जारी नहीं रखना चाहता है।

5.9 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।

5.10 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06.01.2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाइन कक्षाओं को भी मान्यता प्रदान की जायेगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से ऑनलाइन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बनाये जायेगें।

सरणी : 1 नयी शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार स्नातक, स्नाकोत्तर एवं पी0एच0डी0 PGDR कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year /Semester		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/Survey /Project	Minimum Credits For The year	Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor/Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own/Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--		(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--	46	
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--		(92) Diploma In Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--	46	
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)		(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)	40	
4	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)			1(4/5/6)			1 (4)		(184) Bachelor (Reserch) in Faculty
	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)	52	
5	IX	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)		(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)	48	
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D Thesis		Ph.D. in Subject

Note : * = Qualifying Courses ; Th-Theory, Pract- Practicat

06. सत्त आन्तरिक मूल्यांकन **(Continuous Internal Evaluation, CIE) :**

6.1 सभी थ्योरी /प्रैक्टिकल के कोर्स/पेपर में अधिकतम 25 अंकों का निरन्तर आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा।

6.2 प्रत्येक थ्यौरी पेपर में एक लिखित आन्तरिक विवरणात्मक प्रकृति की अधिकतम 15 अंको की लिखित परीक्षा होगी। 10 अंकों का मूल्यांकन क्लास टेस्ट (Class Test), असाइमेन्ट (Assigment), क्यूजस (Quizes), प्रजेन्टेशन (Presentation), स्माल प्रोजेक्ट (Small Project), इत्यादि के द्वारा किया जायेगा। जोकि सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से स्पष्ट पार्दशी नियम बनाकर किया जायेगा ।

6.3 सम्बन्धित शिक्षक द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका, क्वीज, प्रोजेक्ट एवं सम्बन्धित सामग्री को मूल्यांकन के बाद छात्रों को दिखायेंगें एवं वापिस लेकर अपनी निगरानी में सम्बन्धित शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, द्वारा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक अवश्य सुरक्षित रखेगें।

6.4 शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन के अधिकतम 25 अंकों के पूर्णांक में से प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करेगें तथा इसकी हार्ड कॉपी को विश्वविद्यालय में शीघ्र जमा करायेगें तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगें।

6.5 सत्त आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से वार्षिक आन्तरिक परीक्षा शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय के निर्देशुनसार प्राप्त आन्तरिक परीक्षा शुल्क से करेगें।

07. उपस्थिति एवं विश्वविद्यालय परीक्षा (**University Examination, UE**) :

7.1. विद्यार्थी के लिए परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेगा, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाने पर वह आगामी समय में सम सेमेस्टरों की सेमेस्टरों में तथा विषम की परीक्षा विषम सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है।

7.2. किसी पाठयक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल विद्यार्थी के लिये पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी । सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

7.3 प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षायें करायी जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में सभी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षायें अधिकतम 75 अंको की होगी। लिखित परीक्षा की समय अवधि अधिकतम 03 घण्टे की होगी।

7.4 थ्योरी/सैद्धांतिक की बाह्य परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पत्र के अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जायेगें, जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

Section	Types of Questions	Number of Question	Number of Quations to attempt	Each Question will carry maximum marks	Total maximum marks of the section
A	Very Short Answer	5	5	3	15
B	Short Answer	3	2	7.5	15
C	Long Answer	5	3	15	45
Total		13	10	-----	75

08. उत्तीर्ण प्रतिशत :

8.1 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति तीन वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी तथा प्रवेश के नियम व प्रक्रिया माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनुपर के द्वारा बनाये लागू होगें। इसमें परिवर्तन का अधिकार पूर्णतः विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।

8.2 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल) सभी पूर्णांक 100 के (4/5/6 Credit course) है तथा इन सभी का स्नातकोत्तर/परास्नातक में उत्तीर्ण प्रतिशत 40 प्रतिशत होगा तथा पी0एच0डी0 में उत्तीर्ण प्रतिशत 55 प्रतिशत होगा।

8.3 वृहद शोध परियोजना का पूर्णांक 100 का होगा तथा यह 04 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर की होगी और इसका उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होगा।

8.4 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/वृहद शोध परियोजना के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रयोगात्मक सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

8.5 स्नातक (शोध) एवं स्नातकोत्तर में मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रयोगात्मक) सभी में उत्तीर्ण होने हेतु : (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णाक 100 में से यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे ।

8.6 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में मुख्य एवं माइनर विषयों के पेपर उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी को बाहय एवं आन्तरिक परीक्षा में पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उतीर्णांक 40 एवं वृहद शोध परियोजना में 50 अंक प्राप्त करने आवश्यक होगें। आन्तरिक मूल्यांकन की परीक्षा में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें ।

8.7 उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

8.8 स्नातक (शोध सहित) संकाय एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने हेतु 5.0 न्यूनतम CGPA प्राप्त करना आवश्यक होगा।

09. कक्षोन्नति (**Promotion**) :

9.1 विद्यार्थी को विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो । इसके लिए विद्यार्थी द्वारा मात्र विषय सेमेस्टर की परीक्षा का फार्म विश्वविद्यालय में भरा जाना अनिवार्य है।

9.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात स्नातकोत्तर/परास्नातक के वर्तमान प्रथम वर्ष से अगले द्वितीय वर्ष अर्थात द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के कोर्स/पेपर्स (थ्योरी, प्रेक्टिकल, एवं वृहद शोध परियोजना को मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों । न्यूनतम 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

(ब) कक्षान्नोति के लिए कोई न्यूनतम CGPA लागू नहीं होगा।

9.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसमें न्यूनतम 5.0 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) संकाय [Bachelor (Research) in faculty] की उपाधि प्रदान की जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि पूर्ण की है।

10. क्रेडिट निर्धारण :

10.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अबेकस यूपी (**ABACUS UP**) के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके । प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०काम0 के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या –1032 सत्तर–3–2022–08 (35)2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 के द्वारा सत्र 2021–22 से लागू की संस्तुति की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यू0जी0सी0 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर आधारित है। इसी के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2023–24 से माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में लागू की गयी नीति के अर्न्तगत निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी (तालिका–2)।

तालिका – 2 : स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के लिए संस्तुत 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पांइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B	Good	61-70	7
C	Average	51-60	6
P	Pass	40-50	5
F	Fail	Below 40	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified	≥ 40 or above	-
NQ	Not Qualified	< 40 less than	-

10.2 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में क्रेडिट निर्धारण एवं ग्रेडिंग प्रणाली :

10.2.1 प्री–पी0एच0डी0 / PGDR कोर्स वर्क में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर आधारित माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर के द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर किये जायेगें।

10.2.2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1567 / सत्तर–3–2021–16 (26)2011 टी०सी० दिनांक 13 जुलाई 2022 को संस्तुति की गयी तालिका–1 के अनुसार प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में दो पेपर / कोर्स (प्रत्येक 6 क्रेडिट का) सम्बन्धित विषय के तथा एक पेपर / कोर्स न्यूनतम 4 क्रेडिट का शोध प्रविधि अर्थात अनुसंधान क्रिया विधि (Research Methodology) का होगा। इन तीनों पेपर्स / कोर्स में प्रत्येक 100 पूर्णांक का होगा तथा इनके उत्तीर्णांक 55 अंक होगे। यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2022 के नियम 7.8 के अनुरूप है। प्री–पी0एच0डी0 / PGDR कोर्स वर्क की ग्रेडिंग तालिका–3 के अनुसार होगी।

तालिका – 3 : प्री पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के लिए 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पांइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above average	55-60	6
F	Fail	0-54	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

10.2.3 कोर्स वर्क के अतिरिक्त पी0एच0डी0 में एक अनिवार्य वृहद शोध परियोजना जोकि अर्हताकारी (Qulalifying) होगी। यह शोध परियोजना non- credit course के रूप में मानी जायेगी। इसमें लैटर ग्रेड (Letter Grade) Q अथवा NQ दिया जायेगा। इसके ग्रेड को CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

11. **CGPA/SGPA** की गणना एवं श्रेणी निर्धारण :

11.1 स्नातकोत्तर / PGDR कोर्स वर्क में SGPA एवं CGPA की गणना निम्न तालिका–4 में सूत्रों से की जाएगी :

तालिका 4 : **CGPA/SGPA** की गणना

jth सेमेस्टर के लिये : SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci CGPA = Σ (Cj×Sj)/Σ Cj	यहाँ पर : Ci= number of credits of the ith course in jth semester. Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester. यहाँ पर : Sj = SGPA of the jth semester. Cj = Total number of credits in the jth semester.

11.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA **x** 9.5

11.3 विद्यार्थियों को सारणी 5 के अनुसार स्नातकोत्तर/परास्नातक में श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :

तालिका 5 : स्नातक (शोध सहित), एवं स्नातकोत्तर में CGPA के आधार पर श्रेणी निर्धारण

श्रेणी	**वर्गीकरण**
प्रथम श्रेणी	6.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.00 से कम CGPA

11.4. प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क में तालिका 6 के अनुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी :

तालिका 6 : प्री– पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में CGPA के आधार पर श्रेणी निर्धारण

श्रेणी	**वर्गीकरण**
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.50 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA

11.5. प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क को उपरोक्त नियमानुसार सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर परीक्षार्थी को स्नातकोत्तर/डिप्लोमा शोध सहित डिप्लोमा (Post Graduate Diploma In Research) प्रदान किया जायेगा।

11.6. पी0एच0डी0 उपाधि पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि तीन वर्ष (प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क सहित) होगी तथा अधिकतम अवधि आठ वर्ष होगी। विश्वविद्यालय द्वारा अवधि को विशेष परिस्थिति में आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(प्रो0 ओमकार सिंह)
प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर।